न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी– श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 571 / 2020

प्रार्थी:– सम्पतसिंह पुत्र श्री दुर्गसिंह, जाति पुरोहित, निवासी बारानी ओसियां, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:– श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से – अधिवक्ता श्री पेमाराम विश्नोई

अप्रार्थी की ओर से – सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–::निर्णय::–

दिनांक:– 1/12/2020

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 2040 रकबा 3.8850 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2043 रकबा 1.5864 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 2053/2 रकबा 17.6847 हैटेयर, मौजा ग्राम बारानी, तहसील ओसियां जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई हैं। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम चम्पसिंह पुत्र दुर्गसिंह दर्ज है। लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम सम्पतसिंह है। उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूलवश चम्पसिंह पुत्र दुर्गसिंह दर्ज कर दिया जो गलत हैं। प्रार्थी के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, जन आधार इत्यादि दस्तावेज में सम्पतसिंह दर्ज हैं। उक्त राजस्व रेकर्ड में उक्त त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की स्वाभाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उक्त राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम की त्रुटि बाबत् हल्का पटवारी व तहसीलदार ओसियां को निवेदन किया लेकिन उन्होंने त्रुटि सुधारने से इन्कार कर दिया और कहा कि उक्त त्रुटि सुधारने बाबत् उपखण्ड अधिकारी ओसियां से आदेश लेना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बारानी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2040 रकबा 3.8850 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2043 रकबा 1.5864 हैक्टेयर

सहायक कलक्टर, ओसियां

व खसरा नम्बर 2053/3 रकबा 17.6847 हैक्टेयर, के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम चम्पसिंह पुत्र दुर्गसिंह दर्ज जो गलत है इसके स्थान पर वास्तविक नाम सम्पतसिंह पुत्र दुर्गसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम चम्पसिंह पुत्र दुर्गसिंह के स्थान पर सम्पतसिंह पुत्र दुर्गसिंह किये जाने की अनुशंषा की है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम सम्पतसिंह पुत्र दुर्गसिंह है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2040 रकबा 3.8850 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2043 रकबा 1.5864 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 2053/3 रकबा 17.6847 हैक्टेयर, ग्राम बासनी, तहसील ओसियां राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम चम्पसिंह पुत्र दुर्गसिंह के स्थान पर सम्पतसिंह पुत्र दुर्गसिंह दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 1/12/202[illegible] को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner